

शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिये
विद्यमान डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं में
अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने / संस्वीकृत वार्षिक प्रवेश क्षमता में
परिवर्तन / विद्यमान पाठ्यक्रम(मों) की निरंतरता हेतु अखिल भारतीय
तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन के लिए दिशा निर्देश एवं आवेदन
प्रपत्र

**Guidelines and Application form
for Introduction of additional course(s) / Increase in intake /
Extension Approval by
All India Council for Technical Education
in Existing Diploma Level Technical Institutions
for Academic Year 2009-10**



मध्यप्रदेश शासन

संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चौथी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल 462 004

फोन नंबर – 2576751, 2577148, 2577149, 2577150, 2577152, 2577153

फैक्स – 2552219

email : dtemp@sancharnet.in , web site www.mpachedu.org

- नोट: 1. आवेदन प्रपत्र अहस्तारणीय है, जिस सोसायटी एवं संस्था के नाम से आवेदन पत्र निर्गमित हुआ है, वे ही उस पर आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
2. आवेदक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, यथा, संस्था प्राचार्य, सोसायटी के अध्यक्ष/सचिव, आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे एवं पृष्ठ 21 से 39 तक पूर्ण फार्म संचालनालय में प्रस्तुत करेंगे।

संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
चौथी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल 462 004

पावती
(Acknowledgement)

प्रति

सचिव/निदेशक/प्राचार्य/(आवेदक द्वारा भरा जाए)

शैक्षणिक वर्ष **2009-10** के लिए डिप्लोमा इन तकनीशियन शिक्षा (पोलीटेकनिक)/फार्मसी/होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी/ (✓करें) पाठ्यक्रम वाली विद्यमान डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्था,
..... में अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने/संस्वीकृत वार्षिक प्रवेश क्षमता में परिवर्तन/विद्यमान पाठ्यक्रम की निरंतरता (✓करें) हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन के लिए आपको जारी आवेदन-पत्र क्रमांक.....एवं एक सी.डी. (जिसमें आवेदन प्रपत्र एम.एस.वर्ड फार्मेट में है) वार्षिक पालन सह प्रगति प्रतिवेदन (शैक्षणिक वर्ष 2009-10) हेतु की प्राप्ति एतद् द्वारा स्वीकार की जाती है।

आपके आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क **रु 5000/- (रूपये पाँच हजार मात्र)** का
.....(बैंक/ब्रांच) से जारी बैंक ड्राफ्ट क्रमांक
दिनांकभी संचालनालय में प्राप्त हुआ है। कृपया संचालनालय, तकनीकी शिक्षा के साथ भविष्य में किये जाने वाले सभी पत्राचार में उपरोक्त आवेदन पत्र क्रमांक का अवश्य उल्लेख करें।

भवदीय

भोपाल, दिनांक

कृते संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश- भोपाल

विवरणिका (Contents)

स.क्र.	विवरण	पृष्ठ क.
1	आमंत्रित प्रस्तावों के प्रक्रमण की प्रक्रिया	1 से 7
2	वर्ष 2009-10 के लिये प्रक्रमण की समय-सारिणी	8
3	अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची	9 से 10
4.	विद्यमान संस्थाओं हेतु निर्धारित मानदण्ड	11 से 16
5.	आवश्यक निर्देश	17 से 20
6.	आवेदन- प्रपत्र	21 से 32
7.	उद्धोषणा	33
8.	अनुलग्नक दस्तावेजों की सूची	34 से 35
9.	आवेदन की संक्षिप्त विवरणिका	36 से 39

1. आमंत्रित प्रस्तावों के प्रक्रमण की प्रक्रिया

शैक्षणिक वर्ष 2009-10 के लिये विद्यमान डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने/संस्वीकृत वार्षिक प्रवेश क्षमता में परिवर्तन/ विद्यमान पाठ्यक्रम(मों) की निरंतरता ।

राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रमण प्रक्रिया निम्नानुसार 7 चरणों में सम्पन्न की जावेगी :-

चरण-1. आवेदन पत्रों एवं पालन सह प्रगति प्रतिवेदन की प्राप्ति :-

(अ) विद्यमान पाठ्यक्रम(मों) की निरंतरता : अंतिम तिथि **दिनांक 31 जनवरी 2009** तक आवेदकों से आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों, आवेदन की संक्षिप्त विवरणिका एवं एक सी.डी. सहित (जिसमें पूर्ण आवेदन एम.एस. वर्ड फॉर्मेट में उपलब्ध हों) सहित दो प्रतियों में संचालनालय तकनीकी शिक्षा में प्राप्त किये जावेंगे।

चरण-1 पालन सह प्रगति प्रतिवेदन की प्राप्ति

ऐसी सभी संस्थायें जिनके अनुमोदनों की निरंतरता नियत है (अथवा नहीं है), उन्हें आवेदन के साथ एक वार्षिक पालन सह प्रगति प्रतिवेदन एवं **विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट** (निर्धारित प्रारूप में) **दिनांक 31 जनवरी 2009 अपराह्न 3.00 बजे तक** आवश्यक रूप से संचालनालय तकनीकी शिक्षा में जमा करना होगी।

- आवेदक संस्था को एक निर्धारित शपथ-पत्र, जिसमें यह उद्घोषणा की गयी हो कि पालन सह प्रगति प्रतिवेदन में दी गयी जानकारी सही एवं तथ्यात्मक है तथा जानकारी गलत पाये जाने पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् उचित कार्यवाही, जिसमें मान्यता समाप्त किया जाना तक शामिल है, करने के लिये स्वतंत्र रहेगी, भी जमा करना अनिवार्य है।
- इस वार्षिक पालन सह प्रगति प्रतिवेदन में भवन, फ़ैकल्टी, पुस्तकालय, कम्प्यूटर अथवा अन्य भौतिक अधोसंरचना इत्यादि में पिछले एक वर्ष में हुये परिवर्द्धनों को शामिल किया जाना है।
- भवनों में किये गये परिवर्तन के दावे को एक रजिस्टर्ड वास्तुविद् द्वारा सत्यापित नक्शे के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- संस्था की उक्त रिपोर्ट संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। प्रतिवर्ष जमा की जाने वाली उक्त रिपोर्ट अंतिम तिथि तक जमा न करने की स्थिति में संस्था को दी गई मान्यता को निरस्त किया जा सकेगा।

चरण-2 प्रस्तावों का मूल्यांकन :-

समस्त दृष्टि से पूर्व प्रस्तावों को विधिवत गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा।

चरण-3 राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर अभातशिप द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन अथवा निरस्तीकरण :-

चरण-2में उल्लेखित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसाएं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को अनुमोदन जारी करने हेतु प्रेषित की जावेगी एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दिनांक **12 मार्च 2009** तक अनुमोदन/निरस्तीकरण पत्र जारी किये जायेंगे।

- जिन आवेदकों को अनुमोदन पत्र जारी नहीं किया जाता है, उन्हें उनके आवेदन को अमान्य किये जाने के कारणों से तदनुसार अवगत कराया जावेगा।

- जिन आवेदकों को अनुमोदन पत्र जारी नहीं किया जाता है ऐसे सभी आवेदक कमियां पूर्ण कर लिये जाने के दावों की पुष्टि स्वरूप (अभिलेखीय प्रमाण सहित) प्रतिवेदन द्वारा **दिनांक 18 मार्च 2009** तक पुनर्विचार हेतु अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।
- अपीलीय समिति की अनुशंसा पर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अंतिम रूप से दिनांक **31 मार्च 2009** तक अनुमोदन जारी किये जावेंगे।

चरण—(4) विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल निरीक्षण :

वर्ष 2009—10 हेतु अनुमोदित संस्थाओं के संचालक तकनीकी शिक्षा, म.प्र. द्वारा वर्ष में किसी भी समय उपलब्ध सुविधाओं/ दस्तावेजों के सत्यापन हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा आकस्मिक स्थल निरीक्षण आयोजित किये जायेंगे।

- विशेषज्ञ समिति आवेदक द्वारा दर्शाई गई उपर्युक्त सभी सुविधाओं/ दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों एवं मापदण्डों के पूर्णतः पालन किये जाने की जाँच कर संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, म.प्र. को संगत दस्तावेजों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आवेदक संस्था द्वारा निरीक्षण के दौरान विशेषज्ञ समिति को निम्नलिखित अभिलेखों की मूल प्रतियां अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी :—

(i) अनुमोदनों की मूल प्रति

- (1) अभातशिप द्वारा प्रथम अनुमोदन
- (2) तत्पश्चात् निरंतरता के अनुमोदन
- (3) विश्वविद्यालय से संबद्धता का नवीनतम प्रमाण—पत्र
- (4) एन.बी.ए. द्वारा प्रदत्त एकिडिटेशन पत्र (यदि हो)

(ii) भूमि एवं भवन

- (1) समस्त मूल भू— दस्तावेज
- (2) भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं पंजीकृत वास्तुविद द्वारा प्रमाणित कुल निर्मित क्षेत्रफल की जानकारी
- (3) म.प्र. शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भूमि—उपयोग प्रमाण—पत्र एवं समस्त भूखण्ड का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भू परिवर्तन प्रमाण—पत्र (खसरा प्लान सहित)
- (4) नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण परिसर में निर्माण संबंधी योजना
- (5) मानदण्डों अनुसार विद्यार्थियों के लिये छात्रावास का प्रमाण

(iii) वित्तीय जानकारी

- (1) निरीक्षण की तिथि तक संस्था के लेखे का अंकेक्षित प्रतिवेदन (Audited statement)
- (2) उपलब्ध निधि की स्थिति की जानकारी हेतु संस्था के लेखे का नवीन बैंक स्टेटमेंट एवं एफडीआर संबंधी जानकारी।

(iv) पाठ्यक्रमवार पुस्तकालय, कम्प्यूटर एवम् उपकरण

- (1) लायब्रेरी का एक्सेशन रजिस्टर
- (2) कम्प्यूटर एवम् विभिन्न प्रयोगशालाओं में उपलब्ध उपकरण एवम् फर्नीचर के स्टाक रजिस्टर
- (3) इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता (प्रकार एवं बैंड विड्थ) की जानकारी

(v) फेकल्टी

- (1) प्राचार्य/ संचालक का संक्षिप्त बायो-डाटा एवं कार्य ग्रहण करने की तिथि ।
- (2) पाठ्यक्रमवार नियुक्त फेकल्टी की शैक्षणिक योग्यता, पदनाम, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवम् अनुभव सहित सूची ।
- (3) गत दो वर्षों में उच्च शिक्षा हेतु भेजे गये फेकल्टी सदस्यों की सूची ।
- (4) गत दो वर्षों में फेकल्टी सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय कान्फ्रेंस में प्रस्तुत अथवा जर्नल्स में प्रकाशित शोध पत्रों की सूची ।
- (5) गत दो वर्षों में फेकल्टी द्वारा लिखी गई पुस्तकों की सूची विवरण सहित ।
- (6) गत दो वर्षों में रिफ्रेशर कोर्सेस में भाग लेने गये फेकल्टी सदस्यों की सूची विवरण सहित ।
- (7) गत दो वर्षों में अनुसंधान एवम् विकास के कार्य, लिये गये कंसल्टेंसी प्रोजेक्टस् एवम् सतत शिक्षा के कार्यों को करने वाले शिक्षकों की सूची विवरण सहित ।
- (8) वर्तमान एवम् गत वर्ष का फेकल्टी/अशिक्षिकीय स्टाफ का (Acquittance Roll) एक्यूटेंस रोल

(vi) विद्यार्थी

- (1) पाठ्यक्रमवार गत वर्ष प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या
- (2) विगत तीन वर्षों में प्रति पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत एवं सम्बद्ध विश्व विद्यालय के द्वारा जारी परीक्षा परिणाम की छाया प्रतियाँ
- (3) वर्तमान सत्र की पाठ्यक्रमवार समय सारिणी
- (4) विद्यार्थियों को उपलब्ध पाठ्येत्तर एवम् सह पाठ्येत्तर (Co-curricular & extra-curricular) सुविधाओं (एन.सी.सी., एन.एस.एस) की सूची

(vii) संस्था परिसर, कक्षा-कक्ष, प्रयोगशालाएँ, लाइब्रेरी आदि के फोटोग्राफ एवं वीडियो सीडी

(viii) संस्था की वेबसाइट के संबंध में जानकारी

- (1) वेबसाइट का पता
- (2) वेबसाइट लांच करने का दिनांक
- (3) वेबसाइट में दी गई जानकारी का संक्षिप्त विवरण

विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान संस्था वीडियो ग्राफी की व्यवस्था करेगी।

टिप्पणी :

- अनुमोदित संस्था को शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व एक सूचना पत्रक (information booklet) जिसमें संस्था / चलाये जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं उपलब्ध सुविधाओं/ फेकल्टी आदि की अद्यतन जानकारी mandatory disclosure के रूप में छपवाकर तकनीकी शिक्षा के प्रतिभागियों को प्रतिवर्ष उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- प्रत्येक अनुमोदित संस्था को निर्धारित जानकारी वेब साईट पर भी निरन्तर अपडेट के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- यदि कोई संस्था निर्धारित जानकारी को उपलब्ध नहीं कराती है/ जानकारी छुपाती है अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करती है तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् उचित कार्यवाही, जिसमें मान्यता समाप्त किया जाना तक शामिल है, करने के लिये स्वतंत्र रहेगी।

(ब) विद्यमान डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने / संस्वीकृत वार्षिक प्रवेश क्षमता में परिवर्तन :

चरण—(1) पालन सह प्रगति प्रतिवदेन की प्राप्ति :-

विद्यमान डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने/संस्वीकृत वार्षिक प्रवेश क्षमता में परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र समस्त दस्तावेजों, आवेदन की संक्षिप्त विवरणिका दो प्रतियों में समस्त संगत दस्तावेजों, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (निर्धारित प्रारूप में) एवं एक सी.डी. सहित (जिसमें पूर्ण आवेदन एम.एस. वर्ड फॉर्मेट में उपलब्ध हों) संचालनालय तकनीकी शिक्षा में वर्ष में किसी भी समय जमा किये जा सकेंगे परन्तु **दिनांक 31 जनवरी 2009** तक प्राप्त आवेदनों पर ही **शैक्षणिक सत्र (2009 – 10)** के लिये विचार किया जावेगा । **दिनांक 31 जनवरी 2009** के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर अगले शैक्षणिक सत्र **(2010 – 11)** में विचार किया जा सकेगा ।

(आवेदक संस्था प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को स्थायी स्थल पर ही प्रस्तावित कर सकती है। अस्थायी / किराये की / उधार ली गई/लीज्ड प्रांगण में संचालित संस्था के आवेदनों को पाठ्यक्रमों की अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने / संस्वीकृत वार्षिक प्रवेश क्षमता में परिवर्तन हेतु मान्य नहीं किया जावेगा)

चरण—(2) आवेदनों की छानबीन/सत्यापन :-

संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा एक विशेषज्ञ छानबीन समिति द्वारा समस्त प्राप्त आवेदनों एवम् पालन सह प्रगति प्रतिवेदनों का प्रारंभिक परीक्षण कराया जावेगा । यह समिति डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं हेतु निर्धारित मानदण्डों एवम् राज्य शासन की नीति के अंतर्गत आवेदक संस्था की अर्हता की जाँच दिनांक **16 फरवरी 2009** तक पूरी करेगी ।

- आवेदन-पत्रों की कमियों को आवेदन प्राप्ति के 15 कार्यालयीन दिवसों में सूचित किया जावेगा ।
- **प्रारंभिक परीक्षण के उपरांत पाई गई कमियों से संबंधित आवेदकों को पत्र द्वारा सूचित करते हुये दिनांक 28 फरवरी 2009 तक एक विशेषज्ञ छानबीन समिति के समक्ष उक्त कमियों को दूर करने के पालन प्रतिवेदन सहित समस्त संगत मूल दस्तावेजों के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा ।**

चरण—(3) प्रस्तावों का मूल्यांकन :-

समस्त दृष्टि से पूर्व प्रस्तावों पर छानबीन समिति की अनुशंसाओं को विधिवत गठित राज्य स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा ।

चरण—(4) राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर अभातशिप द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन अथवा निरस्तीकरण :-

चरण—3 में उल्लेखित राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को अनुमोदन जारी करने हेतु प्रेषित की जावेगी एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा **दिनांक 25 मार्च 2009** तक अनुमोदन जारी किये जा सकेंगे ।

- अभातशिप द्वारा जारी अनुमोदन पत्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र **2009–2010** सहित **दो वर्षों** तक संबंधित विश्वविद्यालय/ राज्य शासन से संबद्धता एवं प्रवेश संबंधी कार्यवाहियों के लिये वैध रहेगा । यदि संस्था निर्धारित अवधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण नहीं कर पाती है, तो उसे पुनः नवीन आवेदन प्रस्तुत करना होगा ।

- जिन आवेदकों को निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण नहीं कर पाने की स्थिति में अनुमोदन पत्र जारी नहीं किया जाता है, उन्हें उनके आवेदन को अमान्य किये जाने के कारणों से तदनुसार अवगत कराया जावेगा।

चरण—(5) प्रस्ताव के पुनर्विचार हेतु अपील :-

अभातशिप द्वारा दिनांक **25 मार्च 2009** तक आवेदित संस्था के प्रस्ताव पर अनुमोदन जारी न करने की स्थिति में आवेदक संस्था अपने प्रस्ताव पर पुनर्विचार हेतु आवेदक संस्था को बताई गयी कमियों के विरुद्ध उनके दावे के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेजी प्रमाण सहित विधिवत गठित समिति के विचारार्थ नियत तिथि **15 अप्रैल 2009** तक अपील कर सकती है। यह अपील का अवसर भी सिर्फ एक बार ही दिया जावेगा।

चरण—(6) अपीलीय समिति की अनुशंसा के आधार पर अभातशिप द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन अथवा निरस्तीकरण :-

अपीलीय समिति की अनुशंसा के आधार पर अभातशिप द्वारा दिनांक **28 अप्रैल 2009** तक अनुमोदन / निरस्तीकरण पत्र जारी किये जावेंगे।

- अभातशिप द्वारा **31 जनवरी 2009** के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर जारी अनुमोदन पत्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र **2009-2010** के लिये वैध नहीं रहेगा परन्तु उसके उपरांत के आगामी **दो वर्षों** के लिये वैध रहेगा।

चरण—(7) विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल निरीक्षण :

वर्ष 2009-10 हेतु अनुमोदित संस्थाओं के संचालक तकनीकी शिक्षा, म.प्र. द्वारा वर्ष में किसी भी समय उपलब्ध सुविधाओं/ दस्तावेजों के सत्यापन हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा आकस्मिक स्थल निरीक्षण आयोजित किये जायेंगे।

- विशेषज्ञ समिति आवेदक द्वारा दर्शाई गई उपर्युक्त सभी सुविधाओं/ दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा संस्था द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानको एवं मापदण्डों के पूर्णतः पालन किये जाने की जाँच कर संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, म.प्र. को संगत दस्तावेजों सहित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आवेदक संस्था द्वारा निरीक्षण के दौरान विशेषज्ञ समिति को निम्नलिखित अभिलेखों की मूल प्रतियां अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी :-

(i) अनुमोदनों की मूल प्रति

- (1) अभातशिप द्वारा प्रथम अनुमोदन
- (2) तत्पश्चात् निरंतरता के अनुमोदन
- (3) विश्वविद्यालय से संबद्धता का नवीनतम प्रमाण-पत्र
- (4) एन.बी.ए. द्वारा प्रदत्त एकिडिटेशन पत्र (यदि हो)

(ii) भूमि एवं भवन

- (1) समस्त मूल भू- दस्तावेज
- (2) भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं पंजीकृत वास्तुविद द्वारा प्रमाणित कुल निर्मित क्षेत्रफल की जानकारी
- (3) म.प्र. शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त भूमि-उपयोग प्रमाण-पत्र एवं समस्त भूखण्ड का सक्षम अधिकारी प्रदत्त भू परिवर्तन प्रमाण-पत्र (खसरा प्लान सहित)
- (4) नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण परिसर में निर्माण संबंधी योजना
- (5) मानदण्डों अनुसार विद्यार्थियों के लिये छात्रावास का प्रमाण

(iii) वित्तीय जानकारी

- (1) निरीक्षण की तिथि तक संस्था के लेखे का अंकेक्षित प्रतिवेदन (Audited statement)
- (2) उपलब्ध निधि की स्थिति की जानकारी हेतु संस्था के लेखे का नवीन बैंक स्टेटमेंट एवं एफडीआर संबंधी जानकारी।

(iv) पाठ्यक्रमवार पुस्तकालय, कम्प्यूटर एवम् उपकरण

- (1) लायब्रेरी का एक्सेशन रजिस्टर
- (2) कम्प्यूटर एवम् विभिन्न प्रयोगशालाओं में उपलब्ध उपकरण एवम् फर्नीचर के स्टॉक रजिस्टर
- (3) इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता (प्रकार एवं बैंड विड्थ) की जानकारी

(v) फेकल्टी

- (1) प्राचार्य/ संचालक का संक्षिप्त बायो-डाटा एवं कार्य ग्रहण करने की तिथि ।
- (2) पाठ्यक्रमवार नियुक्त फेकल्टी की शैक्षणिक योग्यता, पदनाम, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवम् अनुभव सहित सूची ।
- (3) गत दो वर्षों में उच्च शिक्षा हेतु भेजे गये फेकल्टी सदस्यों की सूची ।
- (4) गत दो वर्षों में फेकल्टी सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय कान्फ्रेंस में प्रस्तुत अथवा जर्नल्स में प्रकाशित शोध पत्रों की सूची ।
- (5) गत दो वर्षों में फेकल्टी द्वारा लिखी गई पुस्तकों की सूची विवरण सहित ।
- (6) गत दो वर्षों में रिफ्रेशर कोर्सेस में भाग लेने गये फेकल्टी सदस्यों की सूची विवरण सहित ।
- (7) गत दो वर्षों में अनुसंधान एवम् विकास के कार्य, लिये गये कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स एवम् सतत शिक्षा के कार्यों को करने वाले शिक्षकों की सूची विवरण सहित ।
- (8) वर्तमान एवम् गत वर्ष का फेकल्टी/अशिक्षिकीय स्टाफ का (Acquittance Roll) एक्क्यूटेंस रोल

(vi) विद्यार्थी

- (1) पाठ्यक्रमवार गत वर्ष प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या
- (2) विगत तीन वर्षों में प्रति पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत एवं सम्बद्ध विश्व विद्यालय के द्वारा जारी परीक्षा परिणाम की छाया प्रतियाँ
- (3) वर्तमान सत्र की पाठ्यक्रमवार समय सारिणी
- (4) विद्यार्थियों को उपलब्ध पाठ्येत्तर एवम् सह पाठ्येत्तर (Co-curricular & extra-curricular) सुविधाओं (एन.सी.सी., एन.एस.एस) की सूची

(vii) संस्था परिसर, कक्षा-कक्ष, प्रयोगशालाएँ, लाइब्रेरी आदि के फोटोग्राफ एवं वीडियों सीडी

(viii) संस्था की वेबसाइट के संबंध में जानकारी

- (1) वेबसाइट का पता
- (2) वेबसाइट लांच करने का दिनांक
- (3) वेबसाइट में दी गई जानकारी का संक्षिप्त विवरण

संस्था विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के दौरान वीडियो ग्राफी की व्यवस्था करेगी।

नोट :- आवेदकों को सूचित किया जाता है कि ऐसे समस्त दस्तावेज जिन्हे विभिन्न चरणों में जमा किया जाना है उन्हें सूचित गई नियत तिथि को अथवा उसके पूर्व एक मुश्त जमा करना आवश्यक है । इसके अभाव में उनके प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जावेगा ।

2. शैक्षणिक सत्र 2009–10 हेतु निर्धारित प्रक्रमण प्रक्रिया का पलो-चार्ट एवं समय सारिणी

(अ) विद्यमान पाठ्यक्रम(मों) की निरंतरता :

शैक्षणिक सत्र 2009–10 के लिये विद्यमान पाठ्यक्रम(मों) की निरंतरता हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन के लिये आवेदन-पत्रों के प्रक्रमण हेतु निर्धारित समय सारिणी निम्नानुसार है :-

आवेदनों का आमंत्रण	15 जनवरी 2009
आवेदन पत्र एवं पालन-सह-प्रगति प्रतिवेदन जमा किया जाना	31 जनवरी 2009
आवेदन पत्रों के विचारार्थ राज्य स्तरीय समिति की बैठक	02 मार्च 2009
अनुमोदन/निरस्तीकरण पत्र जारी किया जाना	12 मार्च 2009
पुर्नविचार हेतु अपील	18 मार्च 2009
अपील पश्चात् अभातशित द्वारा अनुमोदन जारी किया जाना / कमियों की सूचना	31 मार्च 2009

(ब) विद्यमान डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने / संस्वीकृत वार्षिक प्रवेश क्षमता में परिवर्तन :

आवेदनों का आमंत्रण	15 जनवरी 2009
आवेदन पत्र एवं पालन-सह-प्रगति प्रतिवेदन जमा किया जाना	31 जनवरी 2009
आवेदनों की छानबीन	16 फरवरी 2009
छानबीन समिति के समक्ष <i>मूल दस्तावेजों का सत्यापन</i>	28 फरवरी 2009
आवेदन पत्रों के विचारार्थ राज्य स्तरीय समिति की बैठक	16 मार्च 2009
अनुमोदन/निरस्तीकरण पत्र जारी किया जाना	25 मार्च 2009
पुर्नविचार हेतु अपील	15 अप्रैल 2009
अपील पश्चात् अभातशिप द्वारा अनुमोदन जारी किया जाना / कमियों की सूचना	28 अप्रैल 2009

* उपर्युक्त दर्शित तिथियों से शासकीय अवकाश अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से परिवर्तन करने का अधिकार संचालक, तकनीकी शिक्षा को रहेगा ।

3. अनुमोदित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची

3.1 संचालनालय तकनीकी शिक्षा म.प्र. के अंतर्गत संचालित डिप्लोमा पाठ्यक्रम

A) TECHNICIAN EDUCATION PROGRAMMES.

S.NO.	NAME OF THE COURSE	S.NO.	NAME OF THE COURSE
REGULAR DIPLOMA COURSES			
1	Applied Videography	25	Mettalurgy
2	Architecture and Interior Design	26	Mine Surveying
3	Automobile Engg.	27	Mining and Mine Surveying
4	Beauty Culture and Cosmetology	28	Modern Office Management
5	Cement Technology	29	Opto-Electronics
6	Chemical Engineering	30	Optometry and Refraction
7	Civil Engineering	31	Refinery and Petro-Chemicals
8	Computer Science and Engineering	32	Plastic Technology
9	Construction Technology and Management	33	Printing Technology
10	Costume Design and Dress Making	34	Production Engineering
11	Electrical Engineering	35	Refrigeration and Air-Conditioning
12	Electronics	36	Textile Design
13	Electronics and Telecommunication Engineering	37	Textile Technology
14	Fashion Technology	PART-TIME DIPLOMA COURSES	
15	Food Technology	1	Civil Engineering
16	Garment Technology	2	Mechanical Engineering
17	Industrial Electronics	3	Electrical Engineering
18	Instrumentation Engineering	POST DIPLOMA COURSES	
19	Interior Decoration and Design	1	Automobile Engineering
20	Information Technology	2	Computer Application
21	Manufacturing Engineering	3	Rural Technology and Management
22	Mechanical Engineering	4	Structural Engineering
23	Mechatronics	5	Town Planning and Architecture
24	Medical Laboratory Technology		

B) DIPLOMA IN PHARMACY

3.2 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के नामों की सूची
(Ref: AICTE Book of Norms and Standards-1999),

1. **Mechanical Engineering based courses**
Mechanical Engineering (Tool and Die)

2. **Technology Based Courses**
Ceramic Technology
Dairy Engineering
Fisheries Technology
Hotel Management and Catering Technology
Leather Technology (Footwear)
Packaging Technology
Paint Technology
Paper Technology
Polymer Technology
Rubber Technology
Sericulture Technology
Sugar Technology
Wood Technology

3. **Civil Engineering and Architecture Based Course**
Civil Engineering (Transportation Engineering)
Environmental and Pollution Control

4. **Computer/Electrical/Electronics based courses**
Instrumentation (Bio-Medical)
Microprocessor Applications

5. **Vocation/Occupation based courses**
Jewellery Design and Manufacturing
Library and Information Science

NOTE:- For detailed list of additional approved course/revised nomenclature please visit the AICTE website (www.aicte.ernet.in –norms and standards for technical education- Polytechnic Education)

4. विद्यमान संस्थाओं हेतु निर्धारित मानदण्ड

(NORMS FOR EXISTING DIPLOMA LEVEL INSTITUTIONS)

(Diploma level courses in Technician programme (Polytechnic)/ Pharmacy/ Hotel Management and Catering Technology (HMCT))

INTAKE

Additional course(s) and/ or variation in intake may be considered with maximum limit given below, subject to compliance of all the Norms & Standards :

Year	Technician programme (Polytechnic)		Pharmacy	Hotel Mgt. and Catering Tech. (with or without degree)
	Intake	Course	Intake	Intake
First Year	300	5	60	60
Second Year	360	6	60	100
Third Year	420	7	60	100
Fourth Year	480	8	60	100
Fifth Year	*	*	**	**

* Further increase can be considered after accreditation .

** No further increase.

Note: The size of class shall be 60 Students for each course except Architecture/ Town Planning where it shall be 40 Students

A) ESSENTIAL REQUIRMENTS **1 LAND**

S.NO.	Class of New Institutions	Requirement of land (in acre)	
		District HQ/ Corporation/ Municipal Limit/other	State Capital-city/Metro/ Corporation limit only
1	Technician programme (Polytechnic)	5.0	2.0
2	Pharmacy	1.5	0.5
3	Hotel Management and Catering Technology	1.5	0.5
4	Hotel Management and Catering Technology (jointly with Degree)	2.5	0.5

wherever the land requirement is less than 5 acres, the entire land area shall be in single piece and contiguous.

Note: Any area, which is not covered under Municipal Corporation limits of State Capital shall be deemed as District HQ/other.

2. BUILT UP AREA (PER STUDENT)

S. NO.	Class of Institutions	Minimum Requirement (in sqm/student)				
		Instructional Area (Carpet Area)	Administrative Area (Carpet Area)	Amenities Area (Carpet Area)	Built up Area	Grand Total (Plinth Area) Built up Area including circulation and other area
1	Technician programme (Polytechnic)	4.0 - 5.0	3.0		7.0 - 8.0 sqm/student	1.4 x Built up Area
2	Pharmacy	9.0	3.0		12.0 sqm / student	1.4 x Built up Area
3	Hotel Management and Catering Technology (with or without degree)	8.5	1	2	-do_	15.0

* Circulation and other Areas Include Toilets, Corridor, Staircases, and Common Area etc. Administrative Area includes Principal's Room, Reception Office, Main Office, Maintenance Office, Faculty Seating Rooms, Store, and Office Equipment Room etc.

Note: If the age of the institutions is less than the duration of the course, built up area requirement may proportionately reduced.

3. DETAILS OF INSTRUCTIONAL AREA (MINIMUM CARPET AREA)

S. No.	Class of Institution	Class Rooms		Drawing Hall		Computer Centre		Library		Laboratories / Workshop	Tutorial Room	
		No of Rooms	Area of each Room (sqm)	No of Halls	Area of each Hall (sqm)	No of Rooms	Area of each Room (sqm)	No of Rooms	Area (sqm)	Area & No.of Labs	No of Rooms	Area (sqm)
1	Technician programme (Polytechnic)	(02 CR per Branch) (Nc)*	01 sqm per student	1	2.5 to 4.0 sqm per student	1	120	1	50 Sqm for first 500 students + 0.20 Sqm for every additional student	4 to 5 Lab/WS per branch @ 4 sqm per student + 2 to 3 labs for Basic Sciences@4sqm/student as per the requirement of the syllabus	Nt **	01 sqm per student
2	Pharmacy	(Nc)*	60	-	-	01	75	1	150	4 to 5 Labs per @ 4 sqm per student + 2 to 3 labs for Basic Sciences@4sqm/student as per the requirement of the syllabus + 01 Museum (100 sqm)	Nt **	01 sqm per student
3	Hotel Management and Catering Technology (with or without degree)	(Y)	66	-	-	1	75	1	150	1425	YY	36

$$*N = (Ns/Cs) \times (H/Hw) \times 1/fu$$

Where N= no. of rooms required (N may be Nc or Nt)

* Nc = no of class rooms

** Nt = no of rooms for Tutorial

Ns = Total no of Students in all years/Semester taking Institution in the Specified class size (Cs)

Cs = Class size (Number of Students)

H = No of hours per week or the Tutorial room

Hw = No of working hours per week (36)

Fu = (utilization factor taken as 0.75)

$$(Y) \text{ Number of Classrooms} = \frac{\text{Total student strength} \times 0.75}{60}$$

$$(YY) \text{ Number of Tutorial rooms} = \frac{\text{Total student strength} \times 0.33}{30}$$

3.1 COMPUTERS REQUIREMENTS :-

S. No.	Particulars	Requirements as per Norms	
		Technician programme (Polytechnic)	Pharmacy/ HMCT (with or without degree)
1	No of Computer terminals	Terminal-Student Ratio= 1:2	Terminal-Student Ratio= 1:4
2	Hardware specification	P4 Processor/ Latest Configuration	P4 Processor/ Latest Configuration
3	No.of terminnals on LAN/WAN	50% of no.of terminals	50% of no.of terminals
4	Relevant legal software	At least 2 (two) system software packages At least 8(eight) Application Software Packages	At least 2 (two) system software packages At least 4 (four) Application Software Packages
5	Peripheral (s)	Printer : Computer Terminal ratio = 1:10	Printer : Computer Terminal ratio = 1:10

4. LIBRARY

S. No.	Category of New Institute	No. of Text books	No of Basic Sc. & Engg.Books	No of Comm.Skill & Mgmt. Books	No. of Journals and Periodicals	Full Time Librarian	Photo copier	Furniture
						(Nos.)	(Nos.)	
1	Technician programme (Polytechnic)	1500x number of disciplines	400x number of Science disciplines	75 per disciplines	10-15per disciplines	01	01	Sufficient for Books & Seating Capacity for 15 % of intake + 50% of staff
2	Pharmacy	1500	400x number of Science disciplines	75	10-15	01	01	-Do-
3	Hotel Management and Catering Technology	1500	400x number of Science disciplines	75	10-15	01	01	-Do-
4	Hotel Management and Catering Technology (jointly with degree)	1500	400x number of Science disciplines	75	10-15	01	01	-Do-

- Note :
- For detail of yearly addition of books, please refer AICTE Norms & Standards.
 - Sufficient furniture should be available to cater the requirement for minimum of seating capacity for 15% of total intake + 50% of staff.

5. FULL TIME FACULTY (APPOINTED)

S. No.	Class of Institutions	Principal/ Director	HOD*/ Selection Grade Lecturer	Senior Lecturer	Lectures	Total	No. of Technical Supporting Staff
		A	B	C	D	A+B+C+D	
1	Technician programme (Polytechnic)	1	1	1. The ratio of Teaching faculty and students must strictly be in ratio of 1:20. 2. Viz. in case of 180 students, the ratio of Teaching faculty shall be 1 HOD, 2 Sr. Lectuar, 6 Lecturar Total - 09		Total students per course 20	1 Lab Assistant for each Lab + 6 maintenance staff for the inst.
2	Pharmacy	1	1	-do-		Total students 20	1 Lab Assistant for each Lab + 2 maintenance staff for the inst.
3	Hotel Management and Catering Technology	1	1	-do-		Total students 20	1 Lab Assistant for each Lab + 2 maintenance staff for the inst.

* Applicable to Technician programme (Polytechnic) only.

(B) 6. DESIRABLE REQUIRMENTS :

S.No.	Parameter	Minimum Requirements at per Norms		
		Technician programme (Polytechnic)	Pharmacy	Hotel Management and Catering Technology (with or without degree)
1.	Operationl Funds	50 lakh	0.27 Lac. per student	0.30 Lac. per student
2.	All Weather Approach Road	Minimum 4m wide	Minimum 4m wide	Minimum 4m wide
3.	Potable Water Supply System	600 Lt/day	120 Lt/day	120 Lt/day
4.	Electrical Generator	25 KVA	5 KVA	5 KVA
5.	Students' Canteen	100 Sqm	100 Sqm	100 Sqm
6.	Hostel: Boys	25% of students (boys)	25% of students (boys)	25% of students (boys)
	Hostel: Girls	50% of students (girls)	50% of students (girls)	50% of students (girls)
7.	Principal's Quarters	140 Sqm	140 Sqm	140 Sqm
8.	Digital Library	Two Computers+ Library Networking + Multimedia Facilities	One Computers+ Library Networking + Multimedia Facilities	One Computers+ Library Networking + Multimedia Facilities
9.	Quarters for Faculty (50% of the faculty)	100- 80 Sqm (per faculty)	100- 80 Sqm (per faculty)	100- 80 Sqm (per faculty)
10.	Guest House	200 Sqm	80 Sqm	80 Sqm
11.	LRUC	60 Sqm	60 Sqm	60 Sqm

12.	NCC/NSS/Indoor games/recreation centre/physical education Capacity : 1/3 Student Strength	1.5 to 2.0 Sqm per student	1.5 to 2.0 Sqm per student	1.5 to 2.0 Sqm per student
13.	Auditorium/ Multipurpose hall	600 sqm	600 sqm	600 sqm
14	playgrounds	2500- 25000 sqm	2500- 25000 sqm	2500- 25000 sqm
15	Quarters for technical supporting staff (50% of the staff)	20- 30 Sqm	20-30 Sqm	20-30 Sqm
16	Cycles-scooter stand 25% student	1-3 sqm /cycle- scooter	1-3 sqm /cycle- scooter	1-3 sqm /cycle- scooter
17.	Car - Bus Garage	15-55 sqm/ car - bus	15-55 sqm/ car - bus	15-55 sqm/ car - bus
18.	Conference room/ two seminar rooms	75 sqm	75 sqm	75 sqm
19.	Estate office	25 sqm	25 sqm	25 sqm
20.	Dispensary	75 sqm	75 sqm	75 sqm

Note : Areas, wherever mentioned above, are Carpet Area for desirable requirements

5. निरीक्षण समिति द्वारा पाई जाने वाली मुख्य कमियाँ / उल्लंघनों का विवरण

- 5.1 भूमि :-**
1. आवेदक सोसायटी के द्वारा सोसायटी के रिजोल्यूशन के अनुसार प्रस्तावित संस्था हेतु अलग से भूमि चिन्हित की गई है परन्तु स्थल पर निरीक्षण करने के पश्चात् यह पाया गया है कि भूमि अलग से चिन्हित नहीं है तथा उसको सोसायटी द्वारा चलाये जा रहे इंजीनियरिंग महाविद्यालय, डिग्री फार्मसी, बी.फार्मा या अन्य कोई पाठ्यक्रम के साथ ही दिखाया गया है।
 2. आवेदक सोसायटी द्वारा प्रस्तावित संस्था के लिए भूमि को चार दीवारी / कांटेदार तार की बाड़ के रूप में स्पष्ट सीमांकन करके अलग नहीं किया गया है जिसके कारण भूमि का माप लेना संभव नहीं है देखने पर यह भी पता नहीं लगाया जा सकता कि कहीं से कहीं तक की भूमि प्रस्तावित संस्था के लिए चिन्हित की गई है।
 3. सोसायटी ने सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रस्तावित संस्था स्थल का नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है।
- 5.2 भवन :-**
1. आवेदक सोसायटी द्वारा पूर्व में संचालित एवं अनुमोदित इंजीनियरिंग महाविद्यालय या फार्मसी संस्था के भवन के एक ब्लॉक या विंग को ही प्रस्तावित संस्था को संचालित करने हेतु दिखाया गया है जो कि ए.आई.सी.टी.ई. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के विपरीत है।
 2. निरीक्षण की तिथि पर भवन निर्माणाधीन है एवं उसको पूरा होने में कई माह का समय लगेगा।
 3. आवेदक सोसायटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में भवन को फार्मसी संस्था बताया गया है और वास्तविक निरीक्षण की तिथि पर उसको किसी अन्य पाठ्यक्रम के लिए दिखाया गया है।
 4. निर्धारित पाठ्यक्रम के लिए निर्मित स्थान मानदण्डों से कम है।
- 5.3 फण्ड :-**
1. आवेदक सोसायटी द्वारा प्रस्तुत फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट (एफडीआर) मान्य योग्य नहीं है।
 2. एफडीआर की वैधता समाप्त हो चुकी है।
- 5.4 फौकल्टी :-**
1. आवेदक सोसायटी द्वारा प्रस्तावित संस्था के लिए प्राचार्य का नियुक्ति पत्र एवं प्राचार्य हेतु निर्धारित अर्हता का सत्यापन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 2. अन्य आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति एवं अर्हता का सत्यापन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 5.5 प्रयोगशाला :-**
1. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष हेतु प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गई है।
 2. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या निरीक्षण की तिथि पर संस्था में उपलब्ध नहीं है।
 3. प्रस्तावित पाठ्यक्रमों हेतु कर्मशाला एवं कम्प्यूटर सेंटर स्थापित नहीं किया गया है।
 4. एक ही हाल में कई प्रयोगशालाओं को स्थापित किया गया है।
- 5.6 उपकरण एवं फर्नीचर :-**
1. संस्था में ए.आई.सी.टी.ई. मानदण्डों के अनुसार निर्धारित संख्या में उपकरण एवं फर्नीचर उपलब्ध नहीं हैं।
 2. जिन उपकरणों एवं फर्नीचर को निरीक्षण की तिथि पर दिखाया गया, वे संख्या में बहुत कम / पुराने / खराब स्थिति में हैं।
 3. पाठ्यचर्या के अनुसार निर्धारित उपकरण प्रयोगशालाओं में नहीं हैं।
 4. प्रयोगशाला एवं कर्मशाला हेतु कोई स्टाफ रजिस्टर नहीं है।
- 5.7 कम्प्यूटर :-**
1. कम्प्यूटर सेंटर में कम्प्यूटर निर्धारित मानदण्डों से कम संख्या में हैं।
 2. इंटरनेट, लेन/वेन (LAN/WAN) की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
 3. प्रिन्टर्स उपलब्ध नहीं हैं।
 4. कम्प्यूटर सेंटर में यू.पी.एस. की व्यवस्था नहीं है।
- 5.8 लायब्रेरी :-**
1. आवेदक सोसायटी द्वारा इंजीनियरिंग महाविद्यालय या बी फार्मा पाठ्यक्रमों की लायब्रेरी में प्रस्तावित पोलीटेकनिक या फार्मसी की लायब्रेरी बतलाई गई है जो कि नियमानुसार नहीं है।
 2. लायब्रेरी में पुस्तक निर्धारित मानदण्डों से कम संख्या में एवं पुरानी हैं।
 3. लायब्रेरी में जर्नलस इत्यादि उपलब्ध नहीं हैं।
 4. लायब्रेरी में स्टाक रजिस्टर उपलब्ध नहीं है।

6.. आवश्यक निर्देश

(Important Instructions)

6.1 आवेदन पत्र

विद्यमान तकनीकी संस्थाओं में अतिरिक्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने/ संस्वीकृत वार्षिक प्रवेश क्षमता में परिवर्तन / विद्यमान पाठ्यक्रमों की निरंतरता के लिये अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन के लिए, आवेदन पत्र रुपये 5000 (केवल निजी एवं स्ववित्तीय संस्थाओं को लागू) के निर्धारित शुल्क का "संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश" के नाम से भोपाल में देय केवल राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट 15 जनवरी 2009 तक जमा करना आवश्यक है ।

1. शासकीय/म.प्र. शासन द्वारा स्वशासी घोषित/ म.प्र. शासन से 100 % अनुदान प्राप्त संस्थाओं को प्रक्रमण शुल्क एवं संयुक्त सावधि जमा राशि से पूर्णतः छूट प्राप्त है।
2. महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समुदायों हेतु विशिष्ट: स्थापित किये जा रही संस्थाओं को प्रक्रमण शुल्क एवं संयुक्त सावधि जमा राशि में 20 % छूट की पात्रता है।
3. ऐसी संस्थाएं जो विकलांगों को राज्य शासन की योजना के तहत निर्धारित नियमानुसार निशुल्क अध्यापन कराये जाने हेतु सहमति प्रदान करेंगी उन्हें प्रक्रमण शुल्क एवं संयुक्त सावधि जमा राशि में 10 % छूट की पात्रता है।
4. विद्यमान संस्थाओं में तकनीशियन पाठ्यक्रमों / फार्मसी/ होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नालाजी क्षेत्रों में आवेदन के लिये, क्षेत्रवार पृथक-पृथक आवेदन करना अनिवार्य है।
5. प्रत्येक प्रस्ताव में सोसायटी तथा प्रस्तावित महाविद्यालय के प्राचार्य का दूरभाष, मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से देवें। पत्राचार के लिये पता स्पष्ट रूप से लिखें।
6. आवेदन पत्र के साथ सभी संगत दस्तावेज जांच सूची के अनुसार भेजे जावें एवं उनका अनुलग्नक क्रमांक एवं पृष्ठ क्रमांक आवेदन प्रपत्र में स्पष्टतः अंकित करें जिनसे प्रदत्त जानकारी की ओर उसमें किए गए दावों की पुष्टि होती हो।
7. आवेदकों को चाहिए कि वे स्वयं द्वारा चलाई जा रही संस्थाओं (यदि कोई हों) अथवा शैक्षणिक क्रियाकलापों के बारे में पूर्ण ब्यौरा भी संलग्न करें।
8. न्यास/सोसायटीज को चाहिए कि वह प्रस्तावित पाठ्यक्रम हेतु भवन के निर्माण हेतु निधि की उपलब्धता, अपेक्षित सावधि जमा तथा प्रचालनात्मक निधि अनुलग्नक के अनुसार उपलब्ध होने का प्रमाण प्रस्तुत करे। निधियों के स्वामित्व के संबंध में प्रमाण के रूप में व्यक्तियों को ऋण हेतु आवेदन अथवा प्रोमिसरी नोट स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
9. आवेदन पत्र के किसी मद अथवा खंड को छोड़े नहीं। यदि कोई मद लागू नहीं हो तो "लागू नहीं" लिखें, अन्यथा आवेदन पत्र को अपूर्ण माना जाएगा और इसे निरस्त किया जा सकेगा।
10. निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा दी गई जानकारी तथा विवरण यदि असत्य/अपूर्ण पाए जाते हैं तो आवेदन रद्द किया जा सकता है। भविष्य में ऐसे प्रस्तावों से संबंधित किसी पत्र व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
11. सभी आवेदकों को जिनके आवेदन हर दृष्टि से पूर्ण है और अंतिम तिथि को या उससे पूर्व प्राप्त हुये हैं, उन्हें सुनवाई समिति के समक्ष समस्त मूल दस्तावेजों के साथ प्रकरण के प्रस्तुतीकरण का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई के समय को छोड़कर प्रस्तावों के बारे में बाद में दी गई कोई अतिरिक्त सूचना/जानकारी स्वीकार नहीं की जाएगी।
12. यदि कोई आवेदक एक से अधिक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करता है तो प्रत्येक प्रस्ताव के लिए पृथक से संसाधन अनन्य रूप से अपेक्षित होंगे।
13. प्रक्रमण के समय प्रस्तावों की स्थिति के बारे में किसी पूछताछ अथवा पत्राचार का जवाब नहीं दिया जाएगा।
14. आवेदन पत्र के शुल्क या निरीक्षण शुल्क की राशि किसी भी दशा में वापिसी योग्य नहीं है (Non-refundable) है।
15. प्रस्ताव देते समय यह ध्यान रखें कि प्रस्ताव में कोई अस्पष्टता या विरोधाभास न हो।

16. आवेदन प्रपत्र एवं समस्त संगत दस्तावेजों को जिल्द (Bind) कराये एवं पृष्ठ संख्या/ अनुलग्नक क्रमांक/ संदर्भ स्पष्टतः अंकित करें, साथ ही आवेदक संस्था के प्राधिकृत अधिकारी आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।

नोट:- आवेदक संस्था के प्राधिकृत अधिकारी आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे एवं पृष्ठ तक पूर्ण फार्म संचालनालय में प्रस्तुत करेंगे।

6.2 भूमि एवं भवन :

1. आवेदक को चाहिये कि वह भवन संबंधी अवसंरचना सहित मानदण्ड अनुसार सभी अपेक्षाओं को पूरा करें ।
2. अगर आवेदक सोसायटी द्वारा एक ही प्रांगण में (केम्पस) इंजीनियरिंग कालेज, एम.सी.ए., एम.बी.ए., डिग्री फार्मसी अथवा अन्य कोई महाविद्यालय प्रस्तावित संस्था के साथ संचालित किया जा रहा है तो आवेदक सोसायटी को उस प्रश्नाधीन सम्पूर्ण क्षेत्र का एक एकीकृत नक्शा (माप के अनुसार रजिस्टर्ड वास्तुविद द्वारा बनाया गया) जो कि सक्षम राजस्व अधिकारी/प्राधिकारी (यथा संबंधित नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय) द्वारा अनुमोदित (approved) हो, प्रस्ताव के साथ देना आवश्यक है। साथ ही एक ही सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा संचालित, समस्त महाविद्यालयों का विवरण, उनका खसरा नंबर, भूमि का विवरण एवं पृथक-पृथक भवन के नक्शे भी दें।
3. अभातशिप के प्रावधान अनुसार एक ही संस्था में साइंस या अन्य कोई पाठ्यक्रम जो की अभातशिप के प्रावधानों के अन्तर्गत (संलग्न सूची अनुसार) नहीं आते हैं, वे तकनीकी संस्थाओं में संचालित नहीं किये जा सकते हैं।
4. अभातशिप द्वारा इंजीनियरिंग कालेज, एम.सी.ए., एम.बी.ए., डिग्री फार्मसी या डिप्लोमा स्तर की तकनीकी संस्थाओं (होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नॉलाजी को छोड़कर)में स्थल/व्यवस्थाओं को किसी अन्य संस्था के साथ सम्मिलित रूप से उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

6.3 पाठ्यक्रम और प्रवेश क्षमता :

1. प्रस्तावित डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम का चुनाव करने के लिये, वर्तमान में प्रदेश में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची संलग्न है । अगर संस्था इन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कोई और पाठ्यक्रम प्रस्तावित करना चाहती है तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित नामों में से ही उसका चुनाव किया जा सकता है, परन्तु ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु संस्था को प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. आवेदन देते समय प्रत्येक डिप्लोमा कार्यक्रम में अधिकतम प्रवेश क्षमता 60 मान्य हैं।
3. स्वीकृत पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि या स्थापित पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में अतिरिक्त पाठ्यक्रम खोलने के प्रस्ताव, एक शैक्षणिक सत्र पश्चात् ही ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानदण्डों एवं मानकों को पूरा करने पर स्वीकार किये जावेंगे।
4. फार्मसी काउन्सिल आफ इंडिया के पत्र क्रमांक 17-79/2000-पीसीआई-4552 दिनांक 16 जून 2003 के अनुसार डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम में एक स्थान पर 60 से अधिक प्रवेश क्षमता अनुमोदित नहीं की जा सकती है एवं फार्मसी काउन्सिल आफ इंडिया द्वारा फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु न्यूनतम अर्हता डिग्री इन फार्मसी करने का प्रकरण केन्द्र शासन के समक्ष विचाराधीन है इसके पारित हो जाने पर डिप्लोमा इन फार्मसी की अर्हता निष्प्रभावी (Redundant) हो जाने की संभावना है ।
- 5- मध्यप्रदेश पेरा मेडीकल काउन्सिल के अंतर्गत आने वाले डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये पेरा मेडीकल काउन्सिल से अलग से अनुमोदन लेना होगा जिसके लिये उक्त काउंसिल द्वारा वांछित न्यूनतम आवश्यकताएँ/ मानदण्ड हेतु पृथक से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त करें।

6. प्रत्येक आवेदक सोसायटी/संस्था अपने प्रस्ताव में प्रस्तावित संस्था का कलर फोटोग्राफ (6''x4''साइज) प्रस्तुत करेगी। फोटोग्राफ आवेदन पत्र में लगाये जायें तथा उस पर स्कैच पेन से प्रस्तावित संस्था का नाम इस प्रकार लिखें कि आधा नाम फोटोग्राफ के ऊपर तथा आधा उस पेज पर हो जिस पर फोटोग्राफ चिपकाये गये हों। फोटोग्राफ के एक अन्य कार्नर पर सोसायटी/संस्था की सील भी लगायें तथा प्राधिकृत अधिकारी अपने हस्ताक्षर करें।
7. आवेदक सोसायटी, प्रस्तावित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित प्रयोगशालायें स्थापित कर निरीक्षण हेतु तैयार रखेंगी।

6.5 सामान्य :

1. अभातशिप से अनुमति मिल जाने के पश्चात् संस्था को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से सम्बद्धता हेतु आवश्यक कार्रवाई तुरंत करना होगी।
2. अभातशिप द्वारा अनुमति दिये जाने के पश्चात्, संबंधित सोसायटी को प्रवेश की कार्रवाई पूर्ण करने से पहले रुपये 100 के नान-ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश के साथ निर्धारित प्रारूप (जो संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश से प्राप्त किया जा सकेगा) में सहमति (Agreement) हस्ताक्षरित करना अनिवार्य है।
3. सभी मामलों में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली को निर्णय लेने का अंतिम अधिकार रहेगा।

6.6 न्यायालयीन क्षेत्राधिकार :

किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार, भोपाल स्थित न्यायालय का होगा।

7. आवेदन प्रपत्र APPLICATION FORM

वर्ष 2009–10 में विद्यमान संस्थाओं में अतिरिक्त पाठ्यक्रम शुरू करने और/अथवा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में से स्वीकृत प्रवेश क्षमता में परिवर्तन विद्यमान पाठ्यक्रमों की निरंतरता करने हेतु प्रस्ताव।

1. आवेदक संस्था की प्रायोजक सोसायटी/न्यास का नाम एवम् पता

नाम			
पता			
पिन कोड		दूरभाष क्रमांक	
एस.टी.डी.कोड		ई मेल	
फैक्स क्रमांक		वेबसाइट	

2. आवेदक संस्था का नाम और पता

संस्था का नाम		
	अभातशिप द्वारा अनुमोदित स्थायी भवन	अस्थायी भवन (यदि लागू हो)
पता		
शहर		
ग्राम		
जिला		
पिन कोड		
एस.टी.डी.कोड	दूरभाष क्रमांक	
फैक्स क्रमांक	ई मेल	
नजदीकी रेल्वे स्टेशन	कि.मी. में दूरी (स्टेशन की दूरी)	
नजदीकी हवाई अड्डा	कि.मी. में दूरी (हवाईअड्डा की ओर)	

3. संस्था प्रमुख का नाम और पदनाम (प्राचार्य/संचालक)

नाम			
पदनाम		शैक्षणिक योग्यतायें	
एस.टी.डी.कोड		दूरभाष क्रमांक (कार्यालय)	फैक्स क्र.
एस.टी.डी.कोड		दूरभाष क्रमांक (निवास)	फैक्स क्र.
ई मेल		मोबाइल फोन क्रमांक	

4. आवेदक संस्था का प्रकार (जो लागू हो उस पर चिह्नित करें)

1. संकाय/विभाग/विश्वविद्यालय की घटक संस्था/सम विश्वविद्यालय
2. केन्द्र/राज्य शासन
3. म.प्र.शासन द्वारा अनुदान प्राप्त
4. स्ववित्तीय
5. निजी
6. अन्य (विवरण दें)

5. संस्था के प्रारंभ होने की जानकारी

1. संस्था प्रारंभ होने का वर्ष
2. अभातशिप द्वारा प्रदत्त अनुमोदन की तिथि
3. प्रथम बेच के प्रारंभ होने का वर्ष

6. संस्था के अथवा सोसायटी/न्यास के नाम तथा स्थल परिवर्तन की जानकारी

- a) क्या संस्था की प्रायोजक सोसायटी/न्यास के नाम में अभातशिप की अनुमति के बिना परिवर्तन किया गया है ?
हाँ नहीं
- b) क्या संस्था की सोसायटी/न्यास के मूल ढाँचे के नाम में अभातशिप की अनुमति के बिना परिवर्तन किया गया है ?
हाँ नहीं
- c) क्या संस्था के नाम में अभातशिप की अनुमति के बिना परिवर्तन किया गया है ?
हाँ नहीं
- d) क्या संस्था द्वारा अभातशिप की अनुमति के बिना अपना स्थायी भवन परिवर्तित किया गया है ?
हाँ नहीं

यदि हाँ तो विस्तृत जानकारी संलग्न करें

7. संबद्धता प्रदाय करने वाले विश्वविद्यालय का नाम एवम् पता

नाम			
पता			
पिन कोड		संबद्धता की अवधि	
एस.टी.डी.कोड		दूरभाष क्रमांक	
फैक्स क्रमांक		ई-मेल	

10. क्या संस्था द्वारा ऐसे पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं जो अभातशिप द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, यदि हों तो विवरण दीजिये ।

स.क्र.	पाठ्यक्रमों के नाम	संबद्धक निकाय	डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट	अवधि (वर्ष)	वर्ष 2007-2008 में वास्तविक प्रवेश क्षमता
कुल योग					

11. अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और/या अनुमोदित पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन के प्रस्ताव का विवरण

(अ) वर्ष 2009-2010 में प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रम (मों) की जानकारी

स.क्र.	पाठ्यक्रम (मों) के नाम	डिप्लोमा/अंशकालीन डिप्लोमा/पोस्ट डिप्लोमा	प्रस्तावित वार्षिक प्रवेश संख्या
कुल योग			

(ब) विद्यमान अनुमोदित पाठ्यक्रम (मों) की प्रवेश क्षमता में प्रस्तावित परिवर्तन

स.क्र.	पाठ्यक्रम (मों) के नाम	प्रस्तावित प्रवेश क्षमता	अतिरिक्त प्रवेश क्षमता	कुल प्रवेश क्षमता
कुल योग				

12. प्रायोजक सोसायटी/न्यास का ब्यौरा

- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम संस्था/न्यास अधिनियम संख्या
- पंजीकरण संख्या पंजीकरण दिनांक
- पंजीकरण संस्थान

(सोसायटी/न्याय के पंजीकरण की प्रतिलिपि (अनुलग्नक क्रमांक) के अनुसार सोसायटी/न्याय के संविधान संयोजन ज्ञापिका के ब्यौरे सहित संलग्न करें)

13. उपलब्ध भूमि की जानकारी :-

भूमि की श्रेणी: ग्रामीण/जिला मुख्यालय/राज्य की राजधानी/महानगर

उपलब्ध क्षेत्रफलएकड़

भूमि का विवरण:

स. क्र.	दस्तावेज क्रमांक एवम् दिनांक	सर्वे/खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (एकड़)	अवस्थिति/ग्राम

14. (V) विद्यमान पाठ्यक्रमों के लिये निर्मित भवन क्षेत्रफल :-

विवरण	आर.सी.सी. छत युक्त भवन का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अस्थायी (चादर युक्त) छत मुक्त युवत का क्षेत्रफल (यदि शैक्षणिक संस्था के लिये अनुकूल हो) (वर्ग मी.)	कुल उपलब्ध क्षेत्रफल (वर्ग मी.)
शैक्षणिक क्षेत्र (कार्पेट क्षेत्रफल)			
प्रशासनिक क्षेत्र (कार्पेट क्षेत्रफल)			
सुविधाओं का क्षेत्रफल (कार्पेट क्षेत्रफल)			
आवाजाही एवम् अन्य क्षेत्रफल			
कुल योग-			

(C) प्रस्तावित अतिरिक्त पाठ्यक्रम/विद्यमान अनुमोदित पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन हेतु उपलब्ध निर्मित

क्षेत्रफल :

विवरण	आर.सी.सी. छत युक्त अतिरिक्त भवन का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	अस्थायी (चादर युक्त) छत युक्त अतिरिक्त भवन का क्षेत्रफल (यदि शैक्षणिक कार्य हेतु अनुकूल हो) वर्ग मी.	कुल उपलब्ध क्षेत्रफल (वर्ग मी.)
शैक्षणिक क्षेत्रफल (कार्पेट क्षेत्रफल)			
प्रशासनिक क्षेत्र (कार्पेट क्षेत्रफल)			
सुविधाओं का क्षेत्रफल (कार्पेट क्षेत्रफल)			

आबाजाही एवम् अन्य क्षेत्रफल			
कुल योग-			

* vkoktkgh एवम् अन्य क्षेत्र में बरामदे, प्रसाधन सीढियों एवम् कामन एरिया शामिल है

15 (अ) विद्यमान पाठ्यक्रमों हेतु उपलब्ध अनुदेश क्षेत्रफल का विवरण :

विवरण	संस्था में उपलब्ध कक्षाओं की संख्या	संस्था में उपलब्ध प्रत्येक कक्षा का कार्पेट क्षेत्रफल (विभिन्न आकार के कक्षाओं की स्थिति में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले कक्षा का क्षेत्रफल देवे)
कक्षा-कक्षा		
ट्यूटोरियल हाल		
ड्राइंग हाल		
कम्प्यूटर केन्द्र		
पुस्तकालय	अध्ययन कक्षा	
	स्टेकिंग एरिया	
प्रयोग शालाये		
वर्कशाप		
कुल योग -		

(ब) विद्यमान पाठ्यक्रमों हेतु उपलब्ध एमेनिटीस क्षेत्रफल का विवरण :

विवरण	संस्था में उपलब्ध कक्षाओं की संख्या	संस्था में उपलब्ध प्रत्येक कक्षा का कार्पेट क्षेत्रफल (विभिन्न आकार के कक्षाओं की स्थिति में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले कक्षा का क्षेत्रफल देवे)
छात्राओं हेतु कॉमन रूम		
छात्रों के लिये कॉमन रूम		
स्टॉफ कॉमन रूम		

(स) विद्यमान पाठ्यक्रमों हेतु उपलब्ध प्रशासनिक क्षेत्रफल का विवरण :

विवरण	संस्था में उपलब्ध कक्षाओं की संख्या	संस्था में उपलब्ध प्रत्येक कक्षा का कार्पेट क्षेत्रफल (विभिन्न आकार के कक्षाओं की स्थिति में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले कक्षा का क्षेत्रफल देवे)
प्राचार्य का कक्षा		
गोपनीय कक्षा		
रिसेप्शन कक्षा		
विभागाध्यक्ष/प्रवर श्रेणी व्याख्याताओं के कक्षा		
व्याख्याताओं के कक्षा		
मुख्य कार्यालय		
विभागीय कार्यालय		

भण्डार कक्ष		
-------------	--	--

(द) प्रस्तावित अतिरिक्त पाठ्यक्रमों/ विद्यमान अनुमोदित पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि हेतु उपलब्ध अनुदेश क्षेत्रफल का विवरण :

विवरण	संस्था में उपलब्ध अतिरिक्त कक्षाओं की संख्या	संस्था में उपलब्ध प्रत्येक अतिरिक्त क्षेत्रफल कक्ष का कार्पेट
कक्षा-कक्ष		
ट्यूटोरियल हाल		
ड्राइंग हाल		
कम्प्यूटर केन्द्र		
प्रयोगशालायें		
कुल योग-		

16. (v) विद्यमान पाठ्यक्रमों हेतु उपलब्ध प्रयोगशालायें एवम् वर्कशाप:

स.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रयोगशाला/वर्कशाप का नाम	उपलब्ध कार्पेट एरिया (वर्ग मी.)
कुल योग-			

(c) प्रस्तावित अतिरिक्त पाठ्यक्रम/विद्यमान पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन हेतु उपलब्ध प्रयोगशालायें /वर्कशाप

स.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रयोगशाला/वर्कशाप का नाम (यदि आवश्यक हो)	अतिरिक्त उपलब्ध कार्पेट एरिया (वर्ग मीटर)

17. (v) विद्यमान पाठ्यक्रमों हेतु उपलब्ध कम्प्यूटर सुविधा :-

स.क्र.	विवरण	उपलब्धता
1.	कम्प्यूटर टर्मिनलों की संख्या	
2.	हार्डवेयर विवरण	पी-4/नवीनतम तकनीकी युक्त
		पी-3
		अन्य
3.	लेन वेन (LAN/WAN) यह कम्प्यूटर टर्मिनलों की संख्या	
4.	वैध साफ्टवेयर प्रासंगिक वैध	एप्लीकेशन साफ्टवेयर
		सिस्टम साफ्टवेयर
5.	प्रिंटर की संख्या	
6.	इंटरनेट उपलब्धता (के.बी.पी.एस. और घंटों में) (in kbps & hrs.)	

(C) प्रस्तावित नवीन पाठ्यक्रमों/विद्यमान पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन हेतु उपलब्ध कम्प्यूटर सुविधा :

स.क्र.	विवरण	उपलब्धता
1.	अतिरिक्त कम्प्यूटरों टर्मिनलों की संख्या	
2.	हार्डवेयर विवरण	पी-4/नवीनतम तकनीकी युक्त
		पी-3
		अन्य
3.	लेन वेन (LAN/WAN) पर अतिरिक्त कम्प्यूटरों की संख्या	
4.	अतिरिक्त प्रिंटर की संख्या	

18. (V) विद्यमान पाठ्यक्रमों हेतु उपलब्ध पुस्तकालय :

स.क्र.	विवरण	उपलब्धता
1.	पुस्तकों के नामों (टाइटल्स) की संख्या (*)	
2.	पुस्तकों की संख्या (*)	
3.	जर्नलस् की संख्या	राष्ट्रीय
		अन्तरराष्ट्रीय
4.	बैठक क्षमता	
5.	रिप्रोग्राफिक सुविधा	

(*) केवल प्रासंगिक पुस्तकों/ जर्नलस को ही शामिल करें

(C) प्रस्तावित अतिरिक्त पाठ्यक्रमों/प्रवेश क्षमता में परिवर्तन हेतु पुस्तकालय सुविधा :-

स.क्र.	विवरण	उपलब्धता	
1.	अतिरिक्त पुस्तकों के नामों (टाइटल्स) की संख्या (*)		
2.	अतिरिक्त पुस्तकों की संख्या (*)		
3.	अतिरिक्त जर्नलस की संख्या	राष्ट्रीय	
		अन्तर्राष्ट्रीय	

(*) केवल प्रासंगिक पुस्तकों/जर्नलस की ही शामिल करें :

19. (V) विद्यमान पाठ्यक्रमों हेतु फेकल्टी की स्थिति:

स.क्र.	फैकल्टी	पूर्ण कालिक	तदर्थ	गेस्ट फेकल्टी	कुल
1.	प्राचार्य/संचालक				
2.	विभागाध्यक्ष/प्रवर श्रेणी व्याख्याता				
3.	वरिष्ठ व्याख्याता				
4.	व्याख्याता				
	योग-				

(C) प्रस्तावित अतिरिक्त पाठ्यक्रमों/विद्यमान पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में परिवर्तन हेतु फेकल्टी की स्थिति

स.क्र.	फैकल्टी	पूर्ण कालिक	तदर्थ	गेस्ट फेकल्टी	कुल
1.	विभागाध्यक्ष/प्रवर श्रेणी व्याख्याता				
2.	वरिष्ठ व्याख्याता				
3.	व्याख्याता				
	योग-				

(I) सहायक तकनीकी स्टाफ

स.क्र.	सहायक स्टाफ का प्रकार	उपलब्धता
1.		
2.		
3.		
	कुल योग-	

20 विद्यमान पाठ्यक्रमों हेतु वित्तीय विवरण :-

(V) प्रचालन विधि

स.क्र.	बैंक का नाम, शाखा एवम् पूर्ण पता	खाता क्रमांक	नगद शेष (लाखों में)	एफ.डी.आर. (यदि हो) तकनीकी शिक्षा संचालक, म.प्र. से संयुक्त सावधि	कुल राशि (लाखों में)

				जमा के अतिरिक्त	

(C) गत वर्ष के लिये आय के स्रोत एवम् व्यय का ब्यौरा

स.क्र.	आय के स्रोत	रुपये (लाखों में)	व्यय	रुपये (लाखों में)
1.	केन्द्र शासन		पूर्ण कालिक फेकल्टी का वेतन	
2.	राज्य शासन		गेस्ट एवं अन्य फेकल्टी का वेतन/मानदेय	
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग		अशिक्षिकीय स्टाफ का वेतन	
4.	अन्य केन्द्र/राज्य शासन का निकाय		पुस्तकालय	
5.	निजी ट्रस्ट		कम्प्यूटर केन्द्र	
6.	दान		प्रयोगशाला एवं वर्कशाप के लिये उपकरण	
7.	छात्रों की फीस		अन्य (कृपया विवरण देवें)	
8.	अतिरिक्त राजस्व तिमाही			
9.	अन्य (कृपया विवरण देवें)			
कुल योग-				

21. वर्ष 2007-2008 का अकादमिक प्रदर्शन (परीक्षा परिणाम)

स.क्र.	पाठ्यक्रम	वर्ष	अध्ययनरत छात्रों की संख्या (अ)	उत्तीर्ण	
				संख्या (ब)	प्रतिशत (ब/अ) x 100

1.		प्रथम वर्ष			
		द्वितीय वर्ष			
		तृतीय वर्ष			
		योग			
2.		प्रथम वर्ष			
		द्वितीय वर्ष			
		तृतीय वर्ष			
		योग			
3.		प्रथम वर्ष			
		द्वितीय वर्ष			
		तृतीय वर्ष			
		योग			
4.		प्रथम वर्ष			
		द्वितीय वर्ष			
		तृतीय वर्ष			
		योग			
5.		प्रथम वर्ष			
		द्वितीय वर्ष			
		तृतीय वर्ष			
योग					

22. संस्था की नियोजन प्रकोष्ठ द्वारा पाठ्यक्रमवार नियोजित छात्रों की संख्या :

स.क्र.	पाठ्यक्रम	विगत दो वर्षों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	विगत दो वर्षों में नियोजन प्रकोष्ठ द्वारा नियोजित छात्रों की संख्या

23. अभातशिप के गत वर्ष के अनुमोदन/अनुमोदन निरंतरता के पत्र में दर्शायी गयी कमियों के पालन की स्थिति :-

स.क्र.	अनुमोदन पत्र में दर्शायी कमियां	पालन की स्थिति

--	--	--

24. उपलब्ध वांछनीय आवश्यकतायें :-

स.क्र.	विवरण	उपलब्धता
1.	प्रचालन निधि	
2.	सभी मौसमों हेतु पहुंचमार्ग	
3.	पीने योग्य पानी	
4.	इलेक्ट्रिकल जनरेटर	
5.	छात्रों हेतु कैंटीन	
6.	छात्रों हेतु छात्रावास	
7.	छात्राओं हेतु छात्रावास	
8.	प्राचार्य निवास	
9.	डिजिटल लायब्रेरी	
10.	फेकल्टी हेतु आवास	
11.	गेस्ट हाउस	
12.	LRUC	
13.	एनसीसी / एनएसएस / इंडोरगेम्स / मनोरंजन केंद्र / शारीरिक शिक्षा केंद्र	
14.	ऑडिटोरियम / बहुउद्देशीय हॉल	
15.	खेल-कूद के मैदान	
16.	तकनीकी सहायकों के आवास	
17.	साईकिल-स्कूटर स्टेण्ड	
18.	कार-बस गेरेज	
19.	कान्फ्रेंस रूम / सेमीनार कक्ष	
20.	इस्टेट ऑफिस	

नोट:- समस्त क्षेत्रफल जहाँ भी दर्शाये गये हैं, वे कार्पेट क्षेत्रफल हैं ।

25. उद्धोषणा

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि :-

1. समस्त विद्यमान पाठ्यक्रम, निर्धारित मानक मानदण्ड एवम् दिशा निर्देशों के अनुसार चलाये जा रहे हैं ।

2. अंतिम अनुमोदन पत्र में दर्शाई गई सभी भौतिक कमियों को पूर्ण कर लिया गया है ।
3. फ़ैकल्टी को अभातशिप द्वारा निर्धारित वेतनमान का ही भुगतान किया जा रहा है ।
4. प्रवेश पूर्णतः मेरिट पर आधारित है और इस हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या केपिटेशन फीस नहीं ली जा रही है ।
5. शिक्षकीय फ़ैकल्टी की नियुक्ति अभातशिप द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं एवम् अनुभवों के आधार पर की गई है ।
6. राज्य शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण प्राप्त किये एवम् अन्य शुल्क ही विद्यार्थियों से वसूले जा रहे हैं ।
7. गत वर्ष के अभातशिप के अनुमोदन के पश्चात् अभातशिप के अनुमोदन प्राप्त किये बिना कोई नया पाठ्यक्रम (बिना अनुमोदन के) प्रारंभ नहीं किया गया है ।
8. अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त किये बिना किसी भी अनुमोदन प्राप्त विद्यमान पाठ्यक्रम की निर्धारित प्रवेश क्षमता में बढ़ोत्तरी/परिवर्तन नहीं किया गया है ।
9. प्रस्तावित संस्था/महाविद्यालय के लिये मेरी/हमारी पंजीकृत सोसायटी/न्यास द्वारा पृथक से भवन, निधि एवं अन्य अधोसंरचना की व्यवस्था की गयी है । और इसका उपयोग किसी अन्य महाविद्यालय/संस्था या कार्यो हेतु नहीं किया जा रहा है और न ही भविष्य में किया जावेगा ।
10. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि चाहे गये अभिलेख/ दस्तावेज अथवा चाहने पर वांछित अभिलेख निश्चित समयावधि में प्रस्तुत कर दिये जावेगें । ऐसा न करने पर मेरे/हमारे प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है । मैं/हम निर्धारित सभी शर्तों को पूर्ण करुंगा/करेंगे ।
11. मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि आवेदन पत्र में दी गयी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास में सही हैं एवं कोई भी वांछित जानकारी छिपाई नहीं गयी है ।

दिनांक

स्थान:

(संस्था के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नाम :

पदनाम :

(सील)

8. अनुलग्नक दस्तावेजों की सूची

संलग्नक—क्रमांक (1) :-

स्थाई स्थल पर अनुमोदित भूमि एवम् भवन के गिरवी न होने संबंधी उद्घोषणा एवं अन्य भूमि संबंधी आवश्यक दस्तावेज ।

संलग्नक-क्रमांक (2) :-

संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित संस्था से रंगीन फोटोग्राफ और एक वी.सी.डी. विन्डोज मीडिया से **dkEihVscy** जिसमें निम्नलिखित शामिल हो :-

- 1.) भवन के सामने के सम्पूर्ण हिस्से का नजदीकी से लिया फोटोग्राफ
- 2.) भवन के पार्श्व के सम्पूर्ण हिस्से का नजदीक से लिया फोटोग्राफ
- 3.) किसी एक कक्षा के आंतरिक हिस्से का फोटोग्राफ
- 4.) कम्प्यूटर केन्द्र के भीतर का कम्प्यूटर सहित फोटोग्राफ
- 5.) पूर्ण भवन के आंतरिक हिस्सों का संस्था के नाम सहित नजदीकी से लिया फोटोग्राफ
- 6.) एक प्रयोगशाला के आंतरिक हिस्से का फोटोग्राफ
- 7.) ड्राइंग हाल के हिस्से का ड्राइंग बोर्ड एवम् फर्नीचर सहित आंतरिक फोटो (यदि लागू हों)
- 8.) प्राचार्य कक्ष का आंतरिक फोटोग्राफ
- 9.) लायब्रेरी एवं फेकल्टी कक्ष का भीतर का फोटोग्राफ
- 10.) छात्रावास के बाहरी हिस्से का फोटोग्राफ

संलग्नक-क्रमांक (3)

- (1) अभातशिप के प्रथम अनुमोदन पत्र की छायाप्रति
- (2) अभातशिप द्वारा अनुमोदन की निरंतरता के समस्त पत्रों की छायाप्रतियां
- (3) समस्त वर्तमान पाठ्यक्रमों के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्धता की अद्यतन स्थिति
- (4) एन.बी.ए. द्वारा पाठ्यक्रमों का एकडिटेशन (यदि हो) संबंधी पत्र ।

संलग्नक-क्रमांक (4)

पूर्ण कालिक फैंकल्टी (नियुक्त/चिन्हित) का नाम, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मूल वेतन, कुल वेतन की निम्नानुसार तालिका के रूप में सूची :-

1. प्राचार्य का संक्षिप्त बायोडाटा
2. पूर्ण कालिक फेकल्टी (पाठ्यक्रमवार)

स.क.	पाठ्यक्रम	प्रारंभ का वर्ष	अभातशिप द्वारा विद्यमान अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पूर्णकालिक फ़ैकल्टी की संख्या	फ़ैकल्टी का विभाजन		
					विभागाध्यक्ष / प्रवर श्रेणी व्याख्याता	वरिष्ठ श्रेणी व्याख्याता	व्याख्याता

नाम	शैक्षणिक योग्यता एवम् विशेषज्ञता	अनुभव (वर्षों में) शिक्षण / प्रैक्टिस / उद्योग / शोध	संस्था में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	वर्तमान वेतनमान एवम् वेतनमान लागू करने की तिथि तथा कुल पारिलब्धियाँ	भविष्य निधि योजना लागू है / नहीं

अनुलग्नक:—(5) प्रत्येक पूर्ण कालिक फ़ैकल्टी के वेतनमान को दर्शाते हुये चार्टर्ड एकाउन्टेड का प्रमाण-पत्र
अनुलग्नक:—(6) वर्ष 2008-2009 की आय व्यय का ब्यौरा चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित ।

नोट:— उपरोक्त के अतिरिक्त बिन्दु क्रमांक 1.5 (पृ.क्रमांक-2) पर उल्लेखित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न किया जाना अनिवार्य है ।

आवेदन पत्र क्र.

7. आवेदन की संक्षिप्त विवरणिका

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल 642 004
शैक्षणिक वर्ष 2009-10

विवरण	आवेदक (न्याय/सोसायटी)	प्रस्तावित संस्था
नाम		
पता		
जिला		
पिन-कोड		
नाम	अध्यक्ष/सचिव	प्राचार्य
ई-मेल		
एस.टी.डी. कोड		
दूरभाष (कार्या.)		
दूरभाष (निवास)		
फैक्स नं.		
मोबाइल नं.		

8. प्रस्तावित पाठ्यक्रम

(नये पोलीटेकनिक महाविद्यालय स्थापित करने पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के अधिकतम 4 पाठ्यक्रम)

स.क्रं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	प्रवेश क्षमता	प्रवेश अर्हता
1				
2				
3				
4				

9.

विवरण	क्या विवरण मानदण्डों के अनुरूप हैं	सुनवाई समिति की परीक्षणोपरान्त टिप्पणियां
<p>1. सोसायटी/न्यास</p> <p>2.</p> <p>1) सोसायटी द्वारा चलाये जा रहे अन्य संस्थानों का विवरण (यदि कोई हो तो)</p> <p>2) क्या आवेदक सोसायटी का पंजीकरण 29.11.2003 के पूर्व हुआ है</p> <p>3) क्या सोसायटी/न्यास के उद्देश्यों में शैक्षणिक संस्थान/इससे संबंधित कार्यों का संचालन सम्मिलित हैं।</p>		
<p>2. भूमि</p> <p>1) क्या भूमि पंजीकृत है? (सोसायटी/ न्यास के नाम पर विक्रय विलेख/ दान पत्र/ सरकारी पट्टा)</p> <p>2) स्थल का प्रमाण संलग्न है.</p>		

विवरण	क्या विवरण मानदण्डों के अनुरूप हैं	सुनवाई समिति की परीक्षणोपरान्त टिप्पणियां									
<p>3) क्या क्षेत्रफल भूमि की आवश्यकतानुसार हैं.</p> <p>4) कुल उपलब्ध क्षेत्रफल.</p> <p>5) भूमि का विवरण</p> <table border="1" data-bbox="240 317 776 415"> <thead> <tr> <th>क्रं.</th> <th>दिनांक</th> <th>सर्वे क्रं.</th> <th>एकड़</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>6) क्या भूमि मानदण्ड के अनुसार है/ अथवा कमी तथा प्रतिशत में कमी का उल्लेख करें.</p> <p>7) क्या भूमि एक ही भाग में है, अगर नहीं तो दो भूमि भागों के बीच दूरी उल्लेखित करें.</p> <p>8) भूमि बंधक है अथवा नहीं.</p>	क्रं.	दिनांक	सर्वे क्रं.	एकड़							
क्रं.	दिनांक	सर्वे क्रं.	एकड़								
<p>3. भू उपयोग प्रमाण-पत्र</p> <p>1) क्या समस्त भूखण्ड का भू उपयोग प्रमाण-पत्र जमा किया है.</p> <p>2) सक्षम अधिकारी का नाम जिसने भू उपयोग प्रमाण पत्र जारी किया हो.</p> <p>3) प्रमाण पत्र जारी करने वाले कार्यालय का नाम.</p> <p>4) भू उपयोग प्रमाण पत्र स्वीकार्य है अथवा नहीं.</p>											
<p>4. निधि</p> <p>1) निधि की आवश्यकता मानदण्ड के अनुसार.</p> <p>2) कुल उपलब्ध निधि (प्रस्तावित प्राद्यक्रम के लिये)</p> <p>विवरण –</p> <table border="1" data-bbox="240 919 776 1079"> <thead> <tr> <th>बैंक का नाम</th> <th>एफडीआर/ खाता क्रमांक तथा खाता</th> <th>राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>3) निधि के प्रमाण संलग्न किये अथवा नहीं.</p> <p>4) क्या निधि मानदण्ड के अनुसार है/ अथवा कमी तथा प्रतिशत में कमी का उल्लेख करें.</p>	बैंक का नाम	एफडीआर/ खाता क्रमांक तथा खाता	राशि								
बैंक का नाम	एफडीआर/ खाता क्रमांक तथा खाता	राशि									
<p>5. भवन योजना</p> <p>1) क्या अनुमोदित भवन योजना प्रस्तुत की है.</p> <p>2) सक्षम अधिकारी व कार्यालय का नाम जिसने भवन योजना अनुमोदित की हो.</p> <p>3) क्या अनुमोदित भवन योजना स्वीकार्य है.</p>											
<p>6. निर्मित क्षेत्रफल</p> <p>1) न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल की आवश्यकता.</p> <p>2) प्रस्तावित पाद्यक्रम के लिये उपलब्ध निर्मित क्षेत्रफल.</p> <p>3) क्या निर्मित क्षेत्रफल मानदण्ड के अनुरूप है/ अथवा कमी तथा प्रतिशत में कमी का उल्लेखित करें.</p> <p>4) क्या भवन लिटल लेबिल तक प्लास्टरिंग तथा फ्लोरिंग समेत पूर्ण है (फोटोग्राफ देखकर)</p> <p>5) क्या प्रस्तावित स्थल पर अन्य शैक्षणिक संस्थान संचालित किये जा रहे हो तो इसके विवरण दें नोट :- सोसाइटी समस्त भूमि का एक एकीकृत (Composit) नक्शा, सक्षम राजस्व अधिकारी/ अधिकारी से अनुमोदित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्ताव के साथ संलग्न करेगी।</p>	<table border="1" data-bbox="808 1465 1448 1843"> <thead> <tr> <th>स. क्रं.</th> <th>सोसाइटी का नाम</th> <th>शैक्षणिक संस्था का नाम</th> <th>खसरा नंबर</th> <th>भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	स. क्रं.	सोसाइटी का नाम	शैक्षणिक संस्था का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)					
स. क्रं.	सोसाइटी का नाम	शैक्षणिक संस्था का नाम	खसरा नंबर	भूमि का क्षेत्रफल (एकड़ में)							

<p>7. अन्य जानकारी –</p> <p>1) क्या सोसायटी/न्यास ने अन्य कोई संस्था स्थापित करने/ कार्यक्रम हेतु संचालनालय में आवेदन किया है.</p> <p>2) क्या सोसायटी/न्यास का कोई न्यायालयीन प्रकरण तकनीकी शिक्षा संचालनालय में लंबित है ?</p> <p>3) क्या स्थल/व्यवस्थाओं को किसी अन्य संस्थाओं के साथ सम्मिलित रूप से उपयोग किया जा रहा है.</p> <p>4) क्या उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के नियोजन की संभावनाओं के बारे में अभिप्रमाणित सांख्यिकी आंकड़े दिये हैं.</p> <p>5) क्या संस्था खोलने के औचित्य से संतुष्ट हैं.</p> <p>6) अन्य कोई संबंधित जानकारी.</p>		
<p>8. क्या संस्था द्वारा प्रारंभिक छानबीन के पश्चात् चाही गई कमियों की प्रतिपूर्ति पूर्ण रूप से कर दी गई है। अगर आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति की गई हो अथवा नहीं की गई हो तो उसका उल्लेख करें।</p>		

* कुल कमी तथा प्रतिशत में कमी का उल्लेख करिये.